न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर, राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
29 2029	14.07.2022	14.11.2022

//उनवान//

1 [illegible] पुत्र छोटू जाति गुर्जर निवासी नागल संतोकडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:— वादी

बनाम

1 [illegible] तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: असल प्रतिवादी

2 कविता पुत्री मातादीन
3 नेपाल पुत्र मातादीन
4 निम्बो देवी पत्नि मातादीन
5 बादामी पत्नि अमीचन्द
6 महेन्द्र पुत्र मातादीन
7 यादराम पुत्र छोटू
8 सुनिता पुत्री मातादीन
9 सुवाराम पुत्र छोटू
10 ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल
11 कृष्ण कुमार पुत्र रामजीलाल
12 जयराम पुत्र रामजीलाल
13 उमराव पुत्र सोहन
14 जग्गू पुत्र सोहन
15 माडिया पुत्र सोहन
16 लालचन्द पुत्र मोतीराम
17 कालूराम पुत्र मोतीराम
18 रीतिक पुत्र कश्मीरा
19 गौरव पुत्र कश्मीरा जातियान गुर्जर निवासीयान नांगल संतोकडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

तर0 प्रतिवादीगण

दावा— इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थितिः— 1 श्री गंगाराम पटेल — वकील वादी

निर्णय   दिनांक— 14.11.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल ख0नं0 486/0.30, 417/0.19, 334/0.77, 297/0.78, 494/0.34 है0 वाके ग्राम नांगल संतोकडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित होकर मिनवादी और तर0 प्रतिवादी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है मौके पर हिस्सेनुसार काबिज है। मिनवादी और तर0 प्रतिवादीगण के बुजुर्ग नत्थू, श्योनाथ, साहेन, छोटू जो अरसा पूर्व फौत हो गये लेकिन राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

में प्रतिवादी की लापरवाही के कारण रिकॉर्ड में बकाश्त दर्ज कर रखा है जिसके दर्ज होने से हमारी खातेदारी हकहकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रहन बैय, मुन्तकिल करने में बाधा उत्पन्न हो रही है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड से बकाश्त नत्थू, श्योनाथ, साहेन, छोटू दर्ज है उसको हजफ कराने के अधिकारी है आदि–आदि का निवेदन करते हुये वाद वादी व तर0 प्रतिवादीगण विरूद्ध असल प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे की उक्त विवादित आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में जो खातेदार के आगे बकाश्त मृतक नत्थू, श्योनाथ, साहेन, छोटू पुत्रान नानगा साकिन देह का नाम हजफ किया जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी के बाद विधिवत तलबी तर0 प्रतिवादीगण 02 ल0 19 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब दावा पेश हुआ एवं प्रतिवादी सं0 01 असल की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश हुआ। मुताबिक जवाब पैरोकार सरकार पैरा सं0 01 स्वीकार है अंकित करते हुये पैरा नं0 02 ल0 05 व 07 वादी स्वयं सिद्ध करे एवं पैरा सं0 06, 08, 09, 10, 11 कानूनन, कोर्ट फीस संबंधित होकर कानूनन एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवण योग्य है अंकित कर प्रेषित है। उक्तानुसार तर0 प्रतिवादीगण 02 ल0 19 द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत इकबाल जवाब अनुसार निवेदन रहा है कि वादी द्वारा चाही गई रिलीफ के अनुसार डिक्री फरमा दिया जावे हमें कोई एतराज नहीं होगा।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74 प्रदर्श–01 ल0 04 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र दाताराम पीडब्ल्यू–1, जाबर पीडब्ल्यू–2 एवं लछ्छूराम पीडब्ल्यू–3 पेश किये। प्रदर्श स्वीकार किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया की हाल ख0नं0 486/0.30, 417/0.19, 334/0.77, 297/0.78, 494/0.34 है0 वाके ग्राम नांगल संतोकडा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित होकर वादी और तर0 प्रतिवादी की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है मौके पर हिस्सेनुसार काबिज है। वादी और तर0 प्रतिवादीगण के बुजुर्ग नत्थू, श्योनाथ, साहेन, छोटू जो अरसा पूर्व फौत हो गये लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी की लापरवाही के कारण रिकॉर्ड में बकाश्त दर्ज कर रखा है जिसके दर्ज रहने से हमारी खातेदारी हकहकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रहन बैय, मुन्तकिल करने में बाधा उत्पन्न हो रही है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड से बकाश्त नत्थू, श्योनाथ, साहेन, छोटू दर्ज है उसको हजफ कराने के अधिकारी है का अभिकथन करते हुये वादी के वाद को डिक्री किये जाने का अभिकथन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत वादी के वाद को उक्तानुसार यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के हाल ख0नं0 486/0.30, 417/0.19, 334/0.77, 297/0.78, 494/0.34 है0 वाके ग्राम नांगल संतोकडा तह0 मुण्डावर के बाबत के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड पर बकाश्त नत्थू, श्योनाथ, साहेन, छोटू पुत्रान नानगा साकिन देह के हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

यह निर्णय आज दिनांक **14.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

14-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय सहायक कलक्टर
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

दि. 3/01/2023 आज प्रार्थना-पत्र न्यायालय 152 ज०रा०अधि० पेश होकर बाद विधिवत सुनवाई स्वीकार किये जाने पर पेश हुई। उक्त निर्णय आदेश के समाप्त पैरा एवं आदेश पैरा में अंकित नत्थू, रूपनाथ, छोटू के साथ-साथ मोहन नाम के अंकन के बजाय मोहन नाम पढ़ा जावे के आदेश दिये जाते हैं। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर
मुण्ड़ावर (अलवर) राज०